आयोजनागत
संख्या–621/XXIV(8)/2005

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्राचार्य,
जी0बी0 पन्त इंजीनियरिंग कालेज,
घुड़दौड़ी, पौड़ी।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादून दिनांक 6 अगस्त 2005

विषय– जी0बी0 पंत इंजीनियरिंग कालेज, घुड़दौड़ी, पौड़ी में इलेक्ट्रिकल भवन हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्रांक – प्रस्ताव/इलेक्ट्रिकल इंजी0 /510/2005–06 दिनांक 7.7.2005 तथा शासनादेश संख्या– 97/प्रा0शि0/2002 दिनांक 30.3.2002, शासनादेश संख्या– 404/प्रा0शि0/2002 दिनांक 20.11.2002, शासनादेश संख्या– 58/ प्रा0शि0/ 2003 दिनांक 29.3.2003, शासनादेश संख्या– 185/ प्रा0शि0/ 2004 दिनांक 25.5.2004 एवं शासनादेश संख्या–675/प्रा0शि0/2004 दिनांक 29.1.2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय जी0बी0 पन्त इंजीनियरिंग कालेज, घुड़दौड़ी, पौड़ी में निर्माणाधीन इलेक्ट्रिकल भवन हेतु अनुमोदित लागत रू0 560.76 लाख के सापेक्ष अब तक स्वीकृत कुल धनराशि रू0 214.30 लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 346.46 लाख में से इस वित्तीय वर्ष 2005–06 में रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथासमय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय।

3– निर्माण की गुणवत्ता के लिए कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होगें।

4– निर्माण हेतु अनुदानित धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी, पौड़ी द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरी किये जाने के उपरान्त कोषाधिकारी पौड़ी द्वारा सीधे आपको कर दिया जायेगा। सम्बन्धित कोषागार बीजक एवं दिनॉक की सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

5– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरे शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी है, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

10– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या –11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक – 2203 – तकनीकी शिक्षा – आयोजनागत – 00 – 112 – इंजीनियरी / तकनीकी कालेज तथा संस्थान –00–05– इंजीनियरिंग कालेज घुडदौड़ी (पौड़ी)–20– सहायक अनुदान/ अशंदान/ राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–74/वि0 अनु0–4/2005दिनांक 28.7.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून।
2– निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल।
3– जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
4– निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
5– परियोजना प्रबन्धक राजकीय निर्माण निगम, पौड़ी।
6– वित्त अनुभाग–4/ नियोजन अनुभाग।
7– राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव।